[167]

संख्या ओ० एम०/ई-1-07/78 591

बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (संघठन एवं पढति प्रशाखा)

अत्यावेश्यक

श्री के० ए० रामसुब्रह्मण्यमृ, मुख्य सचिव ।

सेवा में,

प्रेषक.

सभी प्रधान सचिव/सचिव

विभागाध्यक्ष (सचिवालय से संलग्न)

पटना, दिनांक 10 अगस्त, 1978।

विषय :---अभिलेखों का संग्रहण तथा अनुक्रमण का अभियान ।

महोदय;

कामिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में मुझे यह देखने का अवसर प्राप्त हुआ है कि सहायक बड़ी दयनीय स्थिति में अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। रैक्स, व्हाटनाट; आलमारी, टेबुल के खतिरिक्त पटल के नीचे भी संचिकाएँ भरी पड़ी हैं। यहाँ तक कि चलने का रास्ता भी नहीं रह गया है। ऐसी दयनीय स्थिति में यदि अग्निकाण्ड या अग्य कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो जाय तो कर्मचारियों के कमरे से निकल भागना भी कठिन होगा। यही स्थिति अन्य विभागों में भी होगी। संभवत: ऐसी स्थिति राज्य अभिलेखागार द्वारा जगह की कमी के कारण अभिलेखित संचिकाओं को नहीं प्राप्त करने से उत्पन्न हो गयी है। अभिलेखागार में पुरानी संचिकाओं का संग्रहण करने के लिए अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था छलग से की जा रही है। किन्तु तत्काल कम-से-कम इतना तो किया ही जा रहा है कि कार्यालयों में अनावश्क संकीर्णता को दूर करने के लिए नियमानुसार जिस कोटि की संचिकाओं को नष्ट कर देना है उनका वर्गीकरण (क्तारिक्तिश्वन) कर उन्हें अनुकमित (इन्डेक्सिग) और अभिलिखित (रेकार्डिंग) कर एक अभियान के रूप से नष्ट कर तिया जाय।

2. अतः अनुरोध है कि कृपया अपने विभागों में इस कार्य हेतु एक उपयुक्त पदाधिकारी के अधीन विशेष दल का गठन किया जाय और उन्हें यह जिम्मेवारी दी जाय तथा अभियान के रूप में इस कार्य को शीघातिशीघ पूरा करा दिया जाय। इस दल के सदस्यों को रविवार या अन्य छुट्टियों के दिन भी कार्य करना आवश्यक हो सकता है जिसके लिए उन्हें उचित मानदेय भी दिया जा सकता है।

3. कुपया इस पत्न की प्राप्त-सूची स्वीकार की जाय और 3 महीने के अन्दर इस दिशा मैं हुई प्रगति से मुझे अवगत कराया जाय।

> विश्वासभाजन (के॰ ए० रामसुब्रह्मण्यम्) मुख्य सचिव बिहार

xviii-1 सचिवालय सहायक विभागीय परीआ

बिहार सरकार

कामिक विभाग

संकरूप

संकल्प संख्या 10/परी०-305/74 का०-2152, पटना-15, दिनांक 19 जुलाई, 1974।

विषय :-- निम्नवर्गीय सहायकों की प्राक्-सम्पुष्टि परीक्षा एवं उच्चवर्शीय सहायक परीक्षा को मिलाकर सचिवालय एवं संलग्ध कार्यालयों के सहायकों के लिये विभागीय परीक्षा ।

सम्प्रति स्थायी विम्नवर्गीय सहायकों को निम्नलिखित परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है ;---

(क) सचिवालय अनुदेश के वियम 2 9 (2) (ख) के अनुसार निम्नवर्गीय सद्दायक के पदों पर सम्पुष्ट होने के लिये प्राक्-सम्पुष्टि परीक्षा और; (ख) उच्चवर्गीय सहायक के पद पर प्रीन्नति के लिये उच्चवगींय परीक्षा ।

2. उच्चवर्गीय परीक्षा तथा प्राक्-सम्पुष्टि परीक्षा के पत्न और बिषयों में बहुत कुछ समता है। साथ ही कई सरकारी सेवाओं में सम्पुष्टि एवं उच्चत्तर पद पर प्रोन्चति के लिये अलग-अलग परीक्षा लेने का प्रावधान नहीं है। एक ही परीक्षा में निम्न स्तर से उत्तीर्ण होने पर सम्पुष्टि के योग्य तथा उच्चस्तर से उत्तीर्ण होने पर सम्पुष्टि एवं प्रोन्नति दोनों के योग्य सरकारी सेवक समझे जाते है।

3. उपयुँक्त पृष्ठभूमि में सरकार ने निर्णय लिया है कि सचिवालय एवं इससे सम्बद्ध विभागाध्यक्षों के कार्यालयों के परीक्ष्यमाण निम्नवर्गीय सहायकों के लिये जो वर्त्तमान में प्राक्-सम्पुष्टि परीक्षा तथा उच्चवर्गीय सहायक परीक्षा का प्रावधान है, उसे संयुक्त कर "सचिवालय सहायक विभागीय परीक्षा" के नाम से एक ही परीक्षा संचालित की जाय। सरकार ने इस कम में भी निर्णय लिये हैं कि इसमें न्यूनतम 40% अंक प्रति विषय प्राप्त करनेवाले सहायकों को सम्पुष्टि की सक्षमता तथा 55% अंक प्रति विषय प्राप्त करनेवालों को सम्पुष्टि एवं उच्चवर्गीय सहायक के पद पर प्रोग्नति दोनों के लिये सक्षमता प्राप्त होगी। जिन सहायकों को इस परीक्षा के फलस्वरूप 40% या उससे अधिक किन्तु 55% से कम अंक प्राप्त होंगे, उन्हें उच्चवर्गीय सहायक के पद पर प्रोग्नति हेतु विभागीय परीक्षा में 55% अंक प्राप्त करने हेतु पुनः उत्तीर्ण होना होगा और ऐसा करने के लिये उन्हें केवल चार अवसर दिये जायेंगे। यदि वे लगातार चार अवसरों पर परीक्षा में सम्मिलित होने के पश्चात् भी उच्चत्तर अर्थात् 55% अंक प्राप्त कर विभागीय परीक्षा पास न हो सकेंगे तो उनका आक्रमण, उच्चत्तर से उत्तीर्ण उनसे कनीय परीक्षोत्तीर्ण सहायकों के हारा हो जायगा।

अभी बहुत से ऐसे परीक्ष्यमाण सहायक हैं, जो चालू प्राक-सम्पुष्टि परीक्षा या उच्चवर्गीय सहायक परीक्षा में आंशिक रूप से उत्तीर्ण हैं। अतः उनके द्वित को दृष्टि में रखते हुए उपर्युक्त सचिवालय सहायक परीक्षा के साथ-साथ, वर्त्तमान में चालू प्राक् सम्पुष्टि परीक्षा एवं उच्चवर्गीय सहायक परीक्षा तीन अवसरों के लिये चालू रखी जायगी। इन तीन अवसरों के अन्तगंत पूर्ण रूप से उत्तीर्ण नहीं होने पर उम्मीदवारों को उपर्युक्त विभागीय परीक्षा के माध्यम से उत्तीणंता प्राप्त करनी होगी। यों इसके पूर्व भी यदि उम्मीदवार चाहें, तो उन्हें वर्त्तमान विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने की छूट रहेगी।

5. उपर्युंक्त "सचिवालय सहायक विभागीय परीक्षा" के पत्न एवं विषय सरकार ने जैंसा निर्धारित किया है, वह परिशिष्ट के रूप में अनुलग्न है।

6. ये आदेश तुरत लागू होंगे।

आदेश :-- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की राजपत्न के एक विशेषांक में प्रकाशित कराया जाय तथा इसकी प्रतिलिपि सभी विभागों तथा विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं परिचरण हेतु भेजी जाय ।

> बिहार राज्यपाल के अनुदेश से ह०/सी० आर० वे कटरामन सरकार के सचिव।

> > हः/सुर्य नारायण झा उप सचिव ।

ज्ञाप संख्या 10/परी०-305/74 का०-2152, पटना-15, दिनांक 19 जुलाई, 1974

प्रतिलिपि—समी सचिवालय विभागों/संलग्न कार्यालयों/विभागाध्यक्षों (प्रमंडलीय-आयुक्तों तथा मुख्य बन संरक्षक; राँची समेत),

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रधारित ।

2. कार्मिक विभाग (संवटन एवं पढति शाखा) सचिवालय अनुदेश के अनुषांगिक नियम का शीझ संशोधन निर्गत करेगा।

[169]

परिशिष्ट

सचिवालय सहायक विभागीय परीक्षा के पत्र एवं विषय

प्रथम पत्र

विषय :--(1) सचिवालय अनुदेश

- (2) कार्यपालिका नियमावली
- (3) भारतीय संविधान से लोक सेवा विषयक अंग
- (4) असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियंतण एवं अपील) नियमावली
- (5) बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यपरिसीमन) नियमावली और सरकारी सेवक आचार नियमावली।
- (6) केन्द्रीय असैनिक सेवा और आचार नियमावली, जो आई॰ ए॰ एस॰ और आई॰ पी॰ एस॰ के पदाधिकारियों पर लागू है।

द्वितीय पत्र

विषय :--(1) टिप्पणी, लेखन एवं प्रारूपण

- (2) पताचार के प्रपत्न और नियम
- (:) परिसंक्षेपण
- (4) विभिन्न प्रकार के पत्नों एवं आदेशों की परिभाषा।

तृतीय पत्न

विषय :-- (1) बिहार सेवा संहिता

- (2) बिहार पेंशन नियमावली
- (3) बिद्वार याता भत्ता नियमावली
- (4) बिहार वित्त नियमावली
- (5) बिहार भविष्य तिघि नियमावली
- (6) उपचार वियमावली

टिष्पणी :- प्रत्येक पत्न का पूर्णांक 100 (एक सौ) होगा तथा निम्नस्तर से उत्तीर्ण होने के लिए 55% प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।

ज्ञाप संख्या 10/परी०-305/74 का०-2152, पटना-15, दिनांक 19 जुलाई, 1974।

प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारवाग, पटना को सूचनार्थं एवं राजपत्न के एक विशेषांक में उक्त संकल्प को तुरन्त प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित ।

2. सम्बन्धित राजपत्न के विशेषांक को एक हजार प्रतियां कार्मिक विभाग (परीक्षा शाखा) को निश्चित रूप से भेजी जाय।

> ह०/सूर्यनारायण झा सरकार के उप सचिव।

XVIII-2

GOVERNMENT OF BIHAR

Finance Department

Memo No. I/MI-6025/68/11663/F, Patna the 3rd December, 1968.

All Departments of Government (by name) All Heads of the Department (by name)

Subject :- Substantive appointment of the Temporary Lower Division Assistant working in Secretariat and attached offices (including office of the Chief Conservator of Fo est, Ranchi and offices of the Divisional Commissioner) without their being required to pass special Lower Division Assistants Examination.

The State Government had under consideration the question of making the temporary Lower Division Assistants working in Sectt. Departments and attached offices including offices of the Chief Conservator of Forest and offices of the Commissioners of Divisions, permanent and after careful consideration of the question Government have now decided that these temporary assistants on comple ion of 3 years continuous service, will be eligible for appointment against available permanent posts on the basis of their record of service. However as the number of permanent posts normally available are not adequate to absorb all the existing temporary asistants it has been decided further to convert all temporary posts, which have been coming on since more than three years and are likely to continue indefinitely in future, into permanent ones, with the concurrence of the Finance Department. The Departments are accordingly requested to send immediately proposal in a consolidated form in the enclosed Proforma I, so that the temporary posts that have been in existence for more than 3 years and are likely to continue indefinitely can be converted into permanent posts. On receipt of information about availability of permanent posts in the various Departments, Finance Department would issue formal orders of allotment as usual.

2. In matters of allotment to Permanent posts, such temporary Lower Division Assistants who have already passed the Lower Divisons Assistants' Examination, held in the year 1966, will have priority in allotment and seniority in cadre over such temporary Lower Division Assistants who will now become eligible for appointment against permanent posts on the basis of completion of at least three years continuous service and their having satisfactory records of service. Further, on their appointment to permanent posts the seniority of those unpassed temporary assistants will be determined on the basis of their continuous length of service as temporary Lower Division assistants. All the temporary assistants on appointment to permanent posts will be on probation for a period of two years and would have to pass the Lower Division Confirmatory examination before they could be confirmed.

3. In persuance of the decision now taken the Departments of the Secretariat and attached cffices are requested to send a list of unpassed temporary Lower Division Assistants who have put in three years of continuous service as temporary Lower Division Assistant on 30-11-1968 to enable the finance Department to prepare the panel of those assistants eligible for permanent allotments. The information may be sent in the enclosed proforma II.

4. It has also been decided that hereafter no Department of Government should have power to appoint to a post of Lower Division Assistant any one whose name is not recommended by the Finance Departmert.

Receipt of the letter may kindly be acknowledged.

By order of the Governor of Bihar, Sd/-P. S. Appu. Secretary to Gvernment

To

· . 4

[171]

No. J. C. C.-2-1032/69-12925/

Government of Bihar,

Finance Department.

To

All Departments of Govt.

All Heads of Departments attached to Sectt., All Divisional Commissioners, Chief Conservator of Forest, Ranchi.

Patna, dated the 12th Sept. 1969.

SUBJECT—Conversion of temporary posts of Lower Division Assistants in Secretariat and attached offices (including office of the Chief Conservator of Forest, Ranchi and offices of the Divisional Commissioners) into permanent ones and appointment of Temporary Lower Division Assistants on substantive basis there to.

The undersigned is directed to refer to Govt. orders contained in memo no. 4948 dated 2-9-69 of Department of Co-ordination (Cabinet Secretariat) where in it has been decided that all temporary posts of Lower Division Assistants which were in existence in Secretariat and in the amalgamated and attached offices of the Heads of the Departments on or before 1-4-1965 and are still in existence should be made permanent straightway under intimation to Finance Department immediately.

2. It has already been decided in memo no. 11663 dated 3-12-68 of Finance Department that the temporary Lower Division Assistants on completion of three year's continuous service on 30-11-68 will be eligible for appointment against the available permanent posts on the basis of record of their service.

3. In the context of the above, orders the temporary posts of Lower Division Assistants should be made permanent as indicated in memo referred to in para 1 above and to appoint on these posts the temporary Lower Division Assistants in the Departments Heads of Departments in which they are at present employed in the following order of precedence, viz. categories (a). (b). and (c).

Category (a).

All such temporary Lower Division Assistants who were allotted to permanent Lower Division posts vide Finance Deptt. memo no. 9159, dated 19-9-68 and who could not join their respective permanent appointments due to one or other reasons.

Category (b).

All such temporary Lower Division Assistants who have qualified at the special Lower Division Examination held in 1966 and are awaiting permanent absorption against permanent posts should be appointed on the permanent posts thereafter.

Category (c).

All such Lower Division temporary Assistants who have neither passed the General Lower Division Examination nor Special Lower Division Examination but have completed three years of continuous temporary service on 30-11-68 should be appointed on the remaining permanent posts according to their continuous length of service as temporary Lower Division Assistants.

4. All the temporary Assistants mentioned in para 3 above on appoitment against permanent posts will remain on probation for a period of two years.

5. According to rule 9 (2) (b) of Chapter 2 of the Secretariat Instructions a temporary Assistant shall, when appointed on probation, undergo a course of training for maximum period of about nine

months; and on completion of the course, he shall be required to pass an examination on the subjects taught in the training class, and shall not be eligible for confirmation untill he has passed the examination. If his probationer fails to pass the pre-confirmatory examination within three years i. e. after getting six chances his case should be reviewed by the Secretary or the Head of the Department. If his record is bad, he should be discharged from service. But if his record is otherwise alright, he may be allowed additional chances for passing the pre-confirmatory examination as laid down in Rule 9 (2) (b) of Annexure to Chapter II of the Secretariat Instructions. So long the probationer Lower Division Assistant does not pass the pre-confirmatory examination completely he will not be eligible for confirmation as a Lower Division Asstt. and he will not be entitled to next increment. He will also not be eligible for promotion to U. D. posts.

6. The conditions contained in paras 4 and 5 should be incorporated in the office order of permanent appointment of temporary Lower Division Assistants.

7. The information regarding permanent appointment of temporary Lower Division Assistant may be communicated to the Finance Department latest by the 30th Sept., 1969 in the enclosed proforma for the purpose of preparation of the joint cadre gradation list.

> By order of the Governor of Bihar, Sd. (S. Mukherjee) Deputy Secretary to Government.

XVIII-2 सचिवालय में सहायकों के पदों एवं सहायकों का स्थायीकरण

पत्न संख्या सं० सं० प्र-2-10 10-71—5356-वि०, दिनांक 5 जून 1971, उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना ढारा, सरकार के सभी सचिव/सरकार के सभी अपर सचिव/सचिवालय के सम्बद्ध सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/मुख्य वन संरक्षक, रौंची को प्रेथित।

विषय :-- सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों तथा प्रमंडलीय आयुक्तों एवं मुख्य वन-संरक्षक के कार्यालयों के परीक्ष्यमाण निम्नवर्गीय सहायकों की प्राक् सम्पुष्टि परीक्षा।

उपयुंक्त विषय पर मुझे कहना है कि वर्तमान में परीक्ष्यमाण निम्ववर्गीय सहायकों में निम्वांकित तीन श्रेणी के सहायक हैं :---

- (क) ऐसे निम्नवर्गीय सहायक जो 1961-62 में साझान्य निम्नवर्गीय सहायकों की भरती परीक्षा में भी उसके पूर्व किसी और विशेष/सामान्य निम्नवर्गीय सहायकों की भरती परीक्षा में उत्तीर्ण हैं।
- (ख) ऐसे अस्थायी निम्नवर्गीय सहायक जो 1966 में निम्तवर्गीय सहायकों की विशेष परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण स्थाई/औपबन्धिक स्थाई पदों पर परीक्ष्यमाण रूप से नियुक्त किये गये।
- (ग) ऐसे अस्याई निम्नवर्गीय सहायक जिनकी निम्नवर्गीय सहायक के पूर्पद पर लगातार संतोषजनक सेवा तिथि 30 नवम्बर 1968 को तीन वर्ष होने के कारण स्थायी औपबन्धिक स्थाई पदों पर परीक्ष्यमाण रूप से नियुक्त किये गये हैं।

2. परीक्ष्यमाण निम्नवर्गीय सद्दायकों को प्राक् सम्पुष्टि परीक्षा से छूट दिये जाने के बारे में सरकार ने विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि उपयुँक्त (क) और (ख) श्रेणी के परीक्ष्यमाण सहायकों को यदि उनकी सेवा संतोषजनक हो, तो सचिवालय अनुदेश के अनुबन्ध (अध्याय 2) के वियम 9 (2) (क) एवं (ख) को शिथिल कर प्राक् सम्पुष्टि प्ररीक्षा में छूट दी जाय और आदेश निर्गत होने की तिथि से इन्हें सम्पुष्ट किया जाय।